को भेजा गया।

8/5/21 इन्तजार तामील पत्र। सिंगिया 24-5-21 को भेजा गया।

22/5/21 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह अपने प्रार्थना पत्र को धारा 212 R.T.Act. को नहीं चलाना चाहता विड्रा करना चाहता है। प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद की पहचान श्री रामधन हेड ने की। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आगामी पत्रावली डिस्मिस्ड। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा शुमार होकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पक्षकारान पाबन्द है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार

पहचान कर्ता

Ramdhan

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:46:09 IST
Reason: SelfAttested